न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– डॉ. सूरज सिंह नेगी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
15 / 2012 प्रा.पत्र / 2012	14–5–2012	07.02.2024

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री खेमचन्द चन्द जैन पुत्र श्री भाग चन्द एफ.बी.ओ. मैसर्स खेमचन्द एण्ड कम्पनी किराणा स्टोर खणदेवत रोड निवाई जिला टोंक निवासी बालिका स्कूल के पीछे निवाई जिला टोंक
2–मैसर्स सुरेशचन्द सुनील कुमार सब्जी मण्डी निवाई जिला–टोंक
3–श्री महावीर प्रसाद जैन प्रोपरायटर मैसर्स सुरेशचन्द सुनील कुमार सब्जी मण्डी निवाई जिला–टोंक निवासी वार्ड नम्बर 4 आयुर्वेद अस्पताल के सामने निवाई जिला–टोंक
4–मैसर्स शरद रिपेकर्स एच–27 एण्डस्ट्रीयल एरिया नापासर जिला बीकानेर राज0
5–श्री दीपक कुमार पारीक पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण पारीक मालिक मैसर्स शरद रिपेकर्स एच–27 एण्डस्ट्रीयल एरिया नापासर जिला बीकानेर राज0 निवासी पारीक चोक बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार
2–अप्रार्थी स्वंय व श्री तेजमल जैन उपस्थित।

:–निर्णय–: **दिनांक 07.02.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.09.2011 को समय 4.55 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स खेमचन्द एण्ड कम्पनी किराणा स्टोर खणदेवत रोड निवाई जिला टोंक पर पहुंचां। विकेता की हैसियत से श्री खेमचन्द चन्द जैन पुत्र भाग चन्द एफ.बी.ओ. मैसर्स खेमचन्द एण्ड कम्पनी किराणा स्टोर खणदेवत रोड निवाई जिला टोंक निवासी बालिका स्कूल के पीछे निवाई जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान मे 452–452 ग्राम के 12 पेकेट **शुद्ध घी श्री गंगा सील पेक** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, एफ.बी.ओ. श्री खेम चन्द जैन को गवाह के सामने फार्म नं.

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता खेम चन्द जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 452–452 ग्राम के 4 मूल पैकेट **शुद्ध घी श्री गंगा सील पेक** के ज्यों का त्यो साफ प्रिन्टेड मूल पैक वास्ते आम जनता को विकय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री खेमचन्द जैन को रू0 366/–अक्षरे तीन सो छियासठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **शुद्ध घी श्री गंगा सील पेक** 452–452 के 4 पैकेट को ज्यो का त्यो को चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो के ढक्कन को नियमानुसार एयरटाईट बंद कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–127 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–127 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. खेमचन्द जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

खाद्य पदार्थ का नमूना कय करते समय श्री खेम चन्द जैन ने मौके पर बतोर वारन्टी मैसर्स ज्ञान चन्द एण्ड कम्पनी गोदाम वालो का कटला सब्जी मण्डी निवाई टोंक का बिल कमांक 2187 दिनांक 26.07.2011 की छायाप्रति प्रति पेश की। मैसर्स ज्ञान चन्द एण्ड कम्पनी गोदाम वालो का कटला सब्जी मण्डी निवाई टोंक ने शरद रिपेकर्स एच–27 एण्डस्ट्रीयल एरिया नापासर जिला बीकानेर राज0 के वारंटी बिल की छायाप्रति प्रेषित की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./11/4070 दिनांक 25.11.2011 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/05/एक्ट/2011/07 दिनांक 12.10.2011 अनुसार खेम चन्द जैन से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **शुद्ध घी श्री गंगा सील पेक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **शुद्ध घी श्री गंगा सील पेक** का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 श्री खेमचंद जैन स्वयं एवं अभिभाषक श्री तेजमल जैन उपस्थित हुए एवं बहस की कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। इसके लेबल पर भी सभी आवश्यक जानकारियां अंकित है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **शुद्ध घी श्री गंगा सील पेक** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **शुद्ध घी श्री गंगा सील पेक** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रर्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 30000/– (अक्षरे तीस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 07.02.2024 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0